रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 1977/अग्रहायण 22, 1899

No. 245] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 1977/AGRAHAYANA 22, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th December 1977

No SC-DIIB-23(7)/77—It has been noticed that over a period of years the ferrous scrap collection, processing and distribution units in the country have come up in haphazard manner In-sufficient information about this industry makes it difficult to evolve a uniform and coordinated policy for further development of this industry and for taking positive measures for import/export of scrap.

2. Government have, therefore, decided to appoint a committee comprising the following —

Chairman

(i) Managing Director, Metal Scrap Trade Corporation

Members

(ii) One representative of Iron and Steel Scrap Association

(iii) One representative of Steel Furnace Association of India.

Member—Secretary

(iv) Industrial Adviser, Iron and Steel Controller's Office.

3. Necessary secretarial assistance shall be provided by the Metal Scrap Trade Corporation

4 The committee may, during the conduct of business, coopt any other members which considers necessary.

5 The committee shall study the existing system of collection, processing and distribution of ferrous scrap in India and recommend improvements with particular reference to —

(a) the problems facing the system

(b) improving the availability of scrap keeping in view the qualitative and quantitative requirements of the industries consuming the scrap

(c) recommend measures for improving the facilities available in collection, processing and distribution

(d) study and recommend measures for ensuring stability in the prices of scrap

(e) recommend a short and long term policy for import/export of scrap

(f) examine the need for introducing changes in specifications and nomenclature of various items of grades of scrap and recommend suitable measures

6 The above study shall also cover the availability of scrap through the existing ship breaking industry.

7. The committee shall complete its work and submit its report to the Government within a period of 4 months.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. ACHARYA, Jt Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1977

सं० एस० सी०-डी० II बी०-23(7)/77 —ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों मे देश में लौह स्क्रैप का एकत्रीकरण, उपयोगीकरण और वितरण करने वाली इकाइयो का विकास अत्यव-स्थित ढग से हुआ है। इस उद्योग के बारे मे अपर्याप्त जानकारी होने के कारण इस उद्योग का आगे और विकास करने तथा स्क्रैप का आयात/निर्यात करने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु एक समान और समन्वित नीति बनाना कठिन है।

2. अत सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है जिसका गठन इस प्रकार होगा :—

(1) प्रबन्ध निदेशक, मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन	अध्यक्ष
(2) आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(3) स्टील फर्नेस एसोसियेशन आफ इडिया का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(4) औद्योगिक सलाहकार, लोहा और इस्पात नियत्रण सगठन	सदस्य-सचिव

3 आवश्यक अनुसचिवीय सहायता मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन द्वारा दी जायेगी।

4 समिति यदि आवश्यक समझे तो कार्य-संचालन के लिए अन्य सदस्य सहयोजित कर सकती है ।

5 समिति भारत में लौह स्क्रैप के एकत्रीकरण, उपावर्गीकरण तथा उसके वितरण की वर्तमान प्रणाली का अध्ययन करेगी और विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में सुधार करने के बारे में सिफारिशें करेगी —

(क) इस उद्योग के सम्मुख आ रही समस्याएं ,

(ख) स्क्रैप का उपभोग करने वाले उद्योगों की स्क्रैप गुणात्मक और मात्रात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्क्रैप की उपलब्धि में सुधार करना ;

(ग) स्क्रैप के एकत्रीकरण, उपयोगीकरण और वितरण की वर्तमान सुविधाओं में सुधार करने के लिए उपाय सुझाना ;

(घ) स्क्रैप के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए अध्ययन करना और उपाय सुझाना ,

(ङ) स्क्रैप के आयात/निर्यात के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति के बारे में सिफारिश करना ;

(च) स्क्रैप की श्रेणियों की विभिन्न मदों की विशिष्टियों तथा नामावली में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर विचार करना और उचित उपाय सुझाना ,

6. उपर्युक्त अध्ययन में जहाज तोड़ने वाले वर्तमान उद्योग के माध्यम से स्क्रैप की उपलब्धि भी शामिल है ।

7. समिति चार महीनों में अपना कार्य समाप्त करके सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

श्री ना० आचार्य, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977